मा—१६

प्रेषक,

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सेवा में,

प्रबंधक,

सेक्रेड हार्ट जू० हा०स्कूल,सीतापुर

पत्र संख्या आई० बी०/मान्यता/960-58 इलाहाबाद, दिनांक 11-8- १९७3।

विषय—आपका हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त मान्यता का प्रार्थना-पत्र ।

महोदय,

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने, मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त, इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा ११ के अन्तर्गत उपर्युक्त विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की १९७5 की हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :—

सामान्य प्रतिबन्ध

(१) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(२) इस आदेश-पत्र को प्राप्त करने की तिथि से दो माह के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

(३) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।

(४) सज्जा की व्यवस्था निरीक्षक/निरीक्षिका के सन्तोषानुसार की जाय । इसके लिए सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे ।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) स पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति ९वीं/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवम् योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय ।

(ख) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय ।

(ग) छात्र संख्यानुसार एकल सेट सज्जा की व्यवस्था की जाय ।

(घ) 500) की सामग्री की व्यवस्था सुरक्षितदान से शीघ्र की जाय ।

(ङ) सुरक्षितदान से 1000) की हाई स्कूल स्तरीय पुस्तकें तुरन्त क्रय की जाय ।

(च) विद्यालय भवन से प्राइमरी कक्षायें पृथक की जाय ।

Principal
Sacred Heart Hr. Sec. Scho
Sitapur (U.P.)

प्रेषक,

मा—१९

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सेवा में,

प्रबंधक,

सेक्रेड हार्ट जूनियर हाई स्कूल, सीतापुर

पत्र संख्या आई० बी०/मान्यता 20043 इलाहाबाद, दिनांक ८-१०-१९७३ ।

विषय—आपका हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त मान्यता का प्रार्थना-पत्र ।

महोदय,

~~अध्यक्ष~~ सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने, ~~मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त,~~ इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा ११ के अन्तर्गत उपर्युक्त विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की १९७५ की हाई स्कूल/~~इन्टरमीडिएट~~ परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त~~ मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :—

सामान्य प्रतिबन्ध

(१) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ९वीं/~~११वीं~~ कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(२) इस आदेश-पत्र को प्राप्त करने की तिथि से दो माह के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से ९वीं/~~११वीं~~ कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

(३) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।

(४) सज्जा की व्यवस्था निरीक्षक/निरीक्षिका के सन्तोषानुसार की जाय । इसके लिए सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे ।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति ९वीं/~~११वीं~~ कक्षा संचालित करने के पूर्व नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवम् योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय ।

(ख) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय ।

(ग) सुरक्षित धन से 5000) के यंत्रादि एवं 3000) की प्रयोगात्मक सज्जा की व्यवस्था तुरन्त की जाय ।

(घ) 200) की विज्ञान पुस्तकों की व्यवस्था सुरक्षित धान से शीघ्र किया जाय ।

(ङ) विद्यालय भवन से प्राईमरी कक्षायें तुरन्त पृथक की जाय साथ ही रिक्त कक्षों को हाईस्कूल कक्षाओं के प्रयोग में लाया जाय ।

Principal
Sacred Heart Hr. Sec
Sitapur (U.P.)

रजिस्टर्ड

भा—19

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
~~क्षेत्रीय उप कार्यालय~~ ....

सेवा में,

प्रबन्धक,
सैक्रेट हार्ट हायर सैकेण्डरी स्कूल,
सीतापुर ।

पत्र संख्या आई0 बी0 मान्यता/2862

इलाहाबाद, दिनांक 19-2-82 १९

विषय :—आपका हाई ~~स्कूल~~/इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/~~अतिरिक्त (वर्ग/विषय)~~ की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7-क के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की 1982 की ~~हाई स्कूल~~/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त वर्ग~~/विषयों में मान्यता दिए जाने का आदेश प्रदान किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(१) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ~~९वीं~~/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण—सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय~~ निरीक्षिका को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(२) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ से ~~९वीं~~/११वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

(३) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय । इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे ।

(४) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति की जाय ।

(५) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/~~प्रधानाचार्या~~ की नियुक्ति की जाय ।

(६) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।

Principal
Sacred Heart Hr. Sec. School
Sitapur (U.P.)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) भवन में २५X२० नाप का एक और कमरा शीघ्र बनाया जाय।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
वैज्ञानिक	सामान्य हिन्दी	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी

टिप्पणी (१) कक्षा..११....में प्रवेश हेतु कम से कम....६०.....छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/~~निरीक्षिका~~ कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

[signature] 19/2/81

अतिरिक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या आई० बी० मान्यता /

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(१) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~। सीतापुर

(२) मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक। लखनऊ

(३) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

(४) ~~हाई स्कूल~~/इन्टरमीडिएट परीक्षा संस्थागत अनुभाग।

अतिरिक्त सचिव।

Principal
Sacred Heart Hr. Sec. School
Sitapur (U.P.)